

हमेशी कनाय कायमल वंग

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तालीम  
में जारी हुए

12<sup>24</sup>

पगावली वास्ते निर्णय देस हुई। वकील जर्घी  
उपस्थित। वकील जर्घीया की बटस पूर्व मे  
छुनी गयी। वकील जर्घी ने दाराने बटस  
निवेदन किया कि सूक्ति रकन. 2870, 2871,  
तन ग्राम मोड़ी लुहारवास मे अवस्थित है।  
जिसके अजर्घीगण सूक्ति रकन 4329 के  
लगाती हुई सीमाको के अजर्घीगण 0.1.14  
के सूक्ति. रकन. 4329 सीमा जोड़ लालेगा है।  
जो कि जर्घीया की सूक्ति को हड़पने एंव  
बैदाबल करने पर तुले हुए है तथा अजर्घीगण  
आपे दिन जर्घीया की सूक्ति मे लगी  
हुई सीमाको को नबर करने पर आपदा एंव  
एव सीमाको को काटका नबर ली नबर  
कर रुई-छुई कर रहे है जर्घीया ने  
दिनांक 19.4.22 को सीमासात भी कलकत.  
अजर्घीगण को लेगुष्ट कर दिया. एव। परन्तु  
अजर्घीगण न ही मान रहे है। अजर्घीगण ने  
जर्घीया की सूक्ति से लगी हुई सीमाको  
को नबर करने एंव जबरन कब्जा करने पर  
आपदा होने पर उम्मा जर्घीया पत्थरगरी  
हेतु न्यायालय राजा के समक्ष देस कला  
आवश्यक हुआ।

अता जर्घीया पत्र पत्थरगरी देस कर निवेदन  
है। कि ग्राम मोड़ी लुहारवास के सूक्ति रकन. 2870,  
2871, की सीमाए जो ग्राम छोपली लहसील  
उदमपुरवारी स्थित के सूक्ति रकन 4329 से  
लगाती हुई सीमाको को पत्थरगरी किसे जाते  
एव उसके लिए उलिस इमडाद सेजे जाने  
के आदेश कलामा जाये।

*(Signature)*



तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर मज

पगावली, पगावली पर उपलब्ध रि कार्ड, फर्क  
 मोका सीमाजात दिने कि 19.4.22 व वाडगाव  
 काराजी सुलाबिठ मकल जमावली लघु 2014-17  
 जिसके रकता छ. नमा 456 व पुरामा 50 मे  
 व गित रकता 2870, 2871, की. जार्थीमा के  
 नाम रबोलेदारी दर्ज रि कार्ड है व कलिकठ  
 किया गमा। तथा कस वकील जार्थीमा पर  
 लगेद. मनन किया गमा। जार्थीमा का वाडगाव  
 मुक्ति का सुलाबिठ सीमाजात पत्थरगदी कने  
 की जार्थीमा टकरा है

अतः जार्थीमा पर जार्थीमा का न्यायसि  
 मे स्वीकार किया जाकर लहसीलगाद रबोले  
 को निर्देश दिया जाता है कि काराजी का  
 2870, 2871, कुल कित 2 कुल रकता 0.72 है.  
 लन गमा केसी लुहालास लहसील रबोले की  
 मुक्ति के पदेसी रबोलेदारी की मौजूदगी मे  
 दिगाद न्यायालय का रकत कडिम ना हो ले  
 निपमाउसाद सुलाबिठ सीमाजात पत्थरगदी कने  
 पालनार्थ हेतु लहसीलगाद रबोले को लहसील  
 जारी है, पगावली फलत मुनाद हेका ममा  
 से कस है, तथा काड लकमील दाबिल दजा  
 है, निर्देश हुते न्यायालय मे पूनामा गमा।



गुलशन  
 जिल्हाधिकारी  
 पिंपरी चिंचवड (सिमा)